भारत सरकार
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1886
31 जुलाई 2025 को उत्तर देने के लिए

रतलाम में स्वीकृत मेगा फूड पार्क और कोल्ड चेन परियोजनाएं

1886. श्रीमती अनिता नागरसिंह चौहान:

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) रतलाम लोग सभा क्षेत्र के किसानों, विशेषकर आदिवासी किसानों के लिए केंद्र प्रायोजित योजना के अंतर्गत स्वीकृत मेगा फूड पार्क और कोल्ड चेन परियोजनाओं की संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार की उक्त निर्वाचन क्षेत्र के आदिवासी किसानों के लिए उक्त मेगा फूड पार्क और कोल्ड स्टोरेज के माध्यम से बाजरा-अनाजों को संरक्षित करने की योजना है;

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) उक्त योजना से किस प्रकार किसानों को बेहतर लाभ प्राप्त करने और कृषि उपज की बर्बादी को कम करने में मदद मिलेगी

उत्तर

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री
(श्री रवनीत सिंह)

(क) से (ग): खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमओएफपीआई) केंद्रीय क्षेत्र की एक अम्ब्रेला स्कीम " प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (पीएमकेएसवाई)" को कार्यान्वित कर रहा है। पीएमकेएसवाई के अंतर्गत शीत श्रृंखला परियोजनाओं के लिए एकीकृत शीत श्रृंखला और मूल्यवर्धन अवसंरचना योजना तथा मेगा फूड पार्क योजना (दिनांक 01.04.2021 से बंद) सहित विभिन्न घटक योजनाएं हैं। एकीकृत शीत श्रृंखलाऔर मूल्यवर्धन अवसंरचना योजना में फ़सलोत्तर नुकसान को कम करने के लिए खेत से लेकर उपभोक्ता तक बिना किसी रुकावट के एकीकृत शीत श्रृंखला, परिरक्षण और मूल्यवर्धन अवसंरचना सुविधाओं का निर्माण शामिल है। दिनांक 30.06.2025 तक, शीत श्रृंखला योजना और मेगा फूड पार्क योजना के अंतर्गत क्रमशः कुल 395 परियोजनाओं और 41 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। रतलाम लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में स्वीकृत परियोजना का विवरण **अनुबंध-1** पर दी गई है ।

पीएमकेएसवाई घटक के अंतर्गत खाद्य प्रसंस्करण एवं परिरक्षण क्षमता सृजन/विस्तार योजना(सीईएफपीपीसी) की घटक योजना को प्रसंस्करण एवं परिरक्षण क्षमताओं के सृजन तथा मिलेट आधारित इकाइयों सहित मौजूदा खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों के आधुनिकीकरण/विस्तार के लिए सहायता प्रदान की जाती है, जिसका उद्देश्य प्रसंस्करण के स्तर को बढ़ाना, मूल्य वर्धन करना तथा अपव्यय को कम करना है।

पीएमकेएसवाई के अंतर्गत उपर्युक्त योजनाएँ मांग-आधारित प्रकृति की हैं और पीएमकेएसवाई की किसी भी घटक योजना के अंतर्गत राज्यवार धनराशि आवंटित/स्वीकृत/जारी नहीं की जाती है। रतलाम लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र सहित पूरे भारत से अभिरुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) के माध्यम से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। और आदिवासी किसानों सहित सभी पात्र आवेदक आवेदन कर सकते हैं।

(घ): प्रसंस्करण और परिरक्षण सुविधाओं के निर्माण से फ़सलोत्तर नुकसान में कमी आती है। उपर्युक्त योजनाओं के अंतर्गत खाद्य प्रसंस्करण अवसंरचना के निर्माण सेखाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के लिए कृषि उत्पादों जैसे कच्चा माल की माँग बढ़ती है जिनसे किसानों को बेहतर मूल्य मिलते हैं और कृषि लाभप्रदता में वृद्धि होती है। दिनांक 30.06.2025 तक, पीएमकेएसवाई की विभिन्न घटक योजनाओं के अंतर्गत 1601 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है , जिनमें से 1133 परियोजनाएँ पूरी हो चुकी हैं, जिससे आदिवासी किसानों सहित देश के 3415102 किसान लाभान्वित हुए हैं।

नाबार्ड कंसल्टेंसी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड (नैबकॉन्स) द्वारा वर्ष 2020 में "खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमओएफपीआई) द्वारा सहायता प्राप्त एकीकृत शीत श्रृंखलाऔर मूल्य वर्धन अवसंरचना योजना के अंतर्गत कार्यान्वित इकाइयों के प्रभाव " पर किए गए और मंत्रालय को प्रस्तुत मूल्यांकन अध्ययन के अनुसार, यह रेखांकित किया गया कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की एकीकृत शीत श्रृंखलाऔर मूल्य वर्धन अवसंरचना योजना के हस्तक्षेप के कारण, जहाँ सभी क्षेत्रों में अपव्यय में आंशिक कमी देखी गई, वहीं फल और सब्जियां, डेयरी और मत्स्य पालन क्षेत्र में अपव्यय में महत्वपूर्ण कमी देखी गई है।

*****

दिनांक 31.07.2025 को उत्तर हेतु रतलाम में स्वीकृत मेगा फूड पार्क और शीत श्रृंखला परियोजनाओं के संबंध में अतारांकित लोक सभा प्रश्न संख्या 1886 के भाग (क) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

रतलाम लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में पीएमकेएसवाई के अंतर्गत स्वीकृत परियोजना का विवरण												
क्र.सं.	**योजना**	**राज्य**	**परियोजना का नाम**	**क्षेत्र**	**ज़िला**	**अनुमोदन की तिथि**	**परियोजना लागत**	**स्वीकृत अनुदान सहायता (करोड़ रुपये में)**	**जारी अनुदान सहायता (करोड़ रुपये में)**	**स्थिति**	**रोज़गार**	**लाभान्वित किसान**
1	**एकीकृत शीत श्रृंखला एवं मूल्य वर्धन अवसंरचना योजना (शीत श्रृंखला)**	मध्य प्रदेश	श्री उत्तम फ़ूड प्रोडक्ट्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड,	एफ एंड वी	झाबुआ	22-05-2015	32.25	8.5	7.50	कार्यान्वनाधीन	600	9552